प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, झालावाड़ थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2022
प्र0सू0रि0 सं ......156/2022........ दिनांक...30.04.2022......................
2. (1) अधिनियम पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018..धाराऐं 7,7ए पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018 व 120बी आईपीसी

(2) अधिनियम...धाराऐं ....

(3) अधिनियम...धाराऐं...

(4) अन्य अधिनियम एवं .... धाराऐं ....

3. (क) घटना का दिन :– शनिवार दिनांक :– 30.04.2022
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 28.04.2022 समय :– 04.35 पी.एम.
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ....590........... समय.....11.57 p.m......
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित प्रार्थना पत्र
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
(क) थाने से दिशा एवं दूरी –चौकी ए.सी.बी. झालावाड़ से क़रीब 35 कि0मी0 बजानिब उत्तर–पश्चिम दिशा
बीट संख्या...जुरामदेही सं...
(ख) पताः– रेलवे ऑवर ब्रीज के नीचे, थाना रामगंजमण्डी के निकट, राजगंजमण्डी जिला कोटा ग्रामीण
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम..............जिला ....
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
(क) नाम :– श्री चैन सिंह
(ख) पिता/पति का नाम :– श्री तूफान सिंह
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– 41 साल
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या......................जारी करने की तिथि...........................जारी करने का स्थान
(च) व्यवसाय –
(छ) पता :– निवासी राममन्दिर के पास, नयागांव (बीड़मण्डी) सलावद खुर्द थाना सुकेत जिला कोटा
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

1. श्री नयन कुमार अखण्ड पुत्र स्व0 श्री रमेशचन्द जाति बैरवा उम्र 36 वर्ष निवासी वार्ड नं0 19 सातलखेड़ी थाना सुकेत पंचायत समिति खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0 हाल पंचायत समिति सदस्य (डायरेक्टर) वार्ड नम्बर 13 ग्राम सातलखेड़ी पंचायत समिति खैराबाद जिला कोटा राज0
2. श्री आनन्द कुमार प्रजापति पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति कुम्हार उम्र 33 वर्ष निवासी वार्ड नं0 05 सातलखेड़ी हाल पत्रकार (दलाल) थाना सुकेत पंचायत समिति खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः – 10,000 रूपये ....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)..
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय,

हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 28.04.2022 को समय 04.35 पी.एम. पर परिवादी श्री चैन सिंह पुत्र श्री तूफान सिंह जाति राजपूत उम्र 41 साल निवासी राम मन्दिर के पास, नयागांव (बीड़मण्डी) सलावद खुर्द थाना सुकेत जिला कोटा (राज0) ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर स्वंय उपस्थित होकर मन्

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया। परिवादी श्री चैन सिंह के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अवलोकन किया गया। परिवादी श्री चैन् सिंह ने उक्त प्रार्थना पत्र अपनी हस्तलेख में लिखा होना बताया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा उस पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया है। परिवादी ने मजमून दरियाफ्त पर बताया कि उसके पिछले वर्ष 2021–22 में भी ग्राम सातलखेड़ी में सरकारी लाईसेन्स की शराब की दुकान का ठेका था तथा इस वर्ष भी श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी कोटा द्वारा अपने आदेश क्रमांक 48 दिनांक 12.04.2022 को हुई ऑन लाईन ई–निलामी में देशी, विदेशी, बीयर कम्पोजिट रिटेल शॉप नम्बर 02 ग्राम पंचायत सातलखेड़ी में आंवटित हुई है जिसकी लॉकेशन व आंवटन आदेश की प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ उसने संलग्न कर रखी है। पिछले वर्ष 2021–22 में भी स्वंय व उसके पार्टनर मनीष द्वारा उसकी शराब की दुकान का संचालन करने के दौरान पूरे वर्ष ग्राम पंचायत सातलखेड़ी के पंचायत समिति सदस्य श्री नयन अखण्ड तथा पत्रकार श्री आनन्द प्रजापति आये दिन उसकी दुकान पर आकर धमकाकर उनसे शराब की बोतले आकर ले जाते थे। श्री नयन अखण्ड अपने साथ पत्रकार श्री आनन्द प्रजापति को भी लेकर आता था तथा 50,000रूपये रिश्वत की उनके द्वारा पिछले वर्ष भी रिश्वत की मांग की थी तथा डर के मारे उसके पार्टनर मनीष ने परेशान होकर उनको 10,000रूपये भी दे दिये थे। यह दोनों उनकी दुकान पर ग्राहको की फोटो व वीडियो बनाकर ले जाते तथा कहते कि हम जनप्रतिनिधि व पत्रकार है जब तक हमसे मिलकर नहीं चलोगे तब तक तुम्हारी दुकान नही चलने देगें तथा तुम्हारी दुकान का लाईसेंस निरस्त करवा देगें। इस वर्ष 2022–23 में भी जब ग्राम सातलखेड़ी में शॉप नम्बर 02 शराब की दुकान अलोट हुई तो अलोट होते ही उसके पास श्री नयन अखण्ड पंचायत समिति सदस्य व श्री आनन्द पत्रकार आये तथा कहा कि इस साल भी तुमको परेशान होना हो तो देख लो नहीं तो हमसे मिलकर चलो। इस पर परिवादी ने कहा कि आप बताओ क्या करना है तो श्री नयन अखण्ड ने कहा कि मैं जनप्रतिनिधि हूं पंचायत समिति सदस्य हूं तथा मुझे प्रति माह 10,000रूपये मासिक बंधी के देने पड़ेगें तभी तुम्हारी दुकान चलने दूंगा। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे आपके अलावा श्री आनन्द प्रजापति पत्रकार भी आये दिन शराब की बोतलों व रूपयों के लिये परेशान करता है। इस पर श्री नयन अखण्ड ने कहा कि मैं उसको देख लूंगा, बात कर लूंगा तुम्हे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मेरे जायज काम के लिए श्री नयन अखण्ड पंचायत समिति सदस्य ग्राम पंचायत सातलखेड़ी को रिश्वत के रूप में 10,000रूपये प्रतिमाह बंधी के रूप में नहीं देना चाहता हूं तथा उन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी उनसे कोई पुरानी रंजिश नहीं है और न ही उधारी का कोई पुराना लेनदेन बकाया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7 आईपीसी की परिधि में आता है। अतः परिवादी श्री चैन सिंह को आरोपी श्री नयन अखण्ड पंचायत समिति सदस्य ग्राम सातलखेड़ी के पास भिजवाकर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। सत्यापन में जैसी स्थिति बनेगी, तदानुरूप अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 28.04.2022 समय 05.15 पीएम पर श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 नं0 26 से मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकलवाकर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा चेक किया जाकर परिवादी श्री चैन सिंह को चालू बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया ऑपरेटिग करना भलीभांति समझाकर सुपुर्द कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु ब्यूरो कार्यालय के कॉनि0 श्री सूरजमल नं0 521 को निगरानी रखने हेतु परिवादी श्री चैन सिंह के साथ दोनों को आवश्यक हिदायत देकर अपनी–अपनी साधनों से बजानिब रवाना सातलखेड़ी के लिये किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की गयी। दिनांक 28.04.2022 समय 07.45 पीएम पर श्री सूरजमल कानि. नं. 521 ब्यूरो कार्यालय में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के उपरान्त मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पेश कर पूछने पर श्री सूरजमल कानि0 ने बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं परिवादी श्री चैन सिंह के साथ–साथ दोनों अपने–अपने वाहनों से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर सातलखेड़ी से आगे रामगंजमण्डी हाईवे के किनारे स्थित तोल कांटा के पास पहुंचे। जहां परिवादी का पार्टनर श्री मनीष भी मौजूद मिला। वहां से परिवादी श्री चैन सिंह के मोबाईल से आरोपी श्री नयन अखण्ड के मोबाईल पर कॉल कराया जाकर उसकी लॉकेशन के सम्बध में जानकारी की गयी तो उसका पुलिस चौकी सातलखेड़ी के सामने स्थित चाय की होटल पर होना ज्ञात हुआ तथा आरोपी ने अवगत कराया कि वह थोड़ी देर में उसके पास तोल कांटा के निकट पहुंच जाएगा। इस पर मेरे द्वारा पुनः डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को वार्तालाप के दौरान चालू करने की हिदायत देकर परिवादी को

आरोपी के आने का इंतजार करने के लिए कहा गया तथा मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रोड़ के दूसरी तरफ साईड में छुपकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर पश्चात् एक व्यक्ति अपने दुपहिया वाहन से तोल कांटा के नजदीक आकर वाहन खड़ा कर परिवादी की तरफ आया तथा लगभग 15–20 मिनट तक बातचीत करने बाद ग्राम सातलखेड़ी की तरफ अपने वाहन से चला गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री चैन सिंह मेरे पास आया तथा मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि मेरी आरोपी श्री नयन अखण्ड से 10,000रूपये मासिक बंधी देने पर उसके द्वारा तथा श्री आनन्द पत्रकार द्वारा उसकी शराब की दुकान को चलाने के लिए परेशान नहीं करने के सम्बंध में बातचीत हो गयी है। बातचीत के दौरान मेरा पार्टनर श्री मनीष भी मौजूद था। आरोपी श्री नयन अखण्ड ने अपने मोबाईल से श्री आनन्द पत्रकार के मोबाईल पर कॉल कर स्पीकर ऑन कर दोनों के मध्य हुई वार्तालाप को भी सुनाया था तथा वह वार्तालाप भी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है। परिवादी श्री चैन सिंह ने कहा कि उसे रिश्वत राशि 10,000रूपये की व्यवस्था भी करनी है, रात्रि का समय भी हो गया है। वह आरोपी श्री नयन अखण्ड से बातचीत कर सम्पर्क कर रिश्वत राशि के साथ ब्यूरो कार्यालय में ट्रेप कार्यवाही हेतु उपस्थित हो जावेगा। श्री सूरज मल कानि0 ने बताया कि परिवादी श्री चैन सिंह को मौके से अपने गांव के लिए अब तक की कार्यवाही के सम्बंध में गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूखसत कर दिया गया था। रिकॉर्डेड डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 को सुपुर्द कर सुरक्षित रूप से मालखाना में रखने की हिदायत दी गई। दिनांक 29.04.2022 समय 04:00 पीएम पर परिवादी श्री चैन सिंह ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप के सम्बध में अवगत कराया जिससे श्री सूरज मल कानि0 द्वारा बताया गये तथ्यों की पुष्टि हुई। परिवादी श्री चैन सिंह ने अवगत कराया कि आरोपी श्री नयन अखण्ड पंचायत समिति सदस्य सातलखेड़ी से मोबाईल पर वार्तालाप हुई है। आज वह कही शादी में गया हुआ है तथा कल दिनांक 30.04.2022 को दोपहर पूर्व उसने पुलिस चौकी सातलखेड़ी के सामने स्थित चाय की होटल पर रिश्वत में दी जाने वाली मासिक बंधी के 10,000रूपये लेकर बुलाया है। परिवादी ने बताया कि मैं कल सुबह 8 बजे पूर्व रिश्वत राशि लेकर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हो जाऊंगा। परिवादी श्री चैन सिंह द्वारा उक्त जानकारी देने के पश्चात् गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। दिनांक 29.04.2022 समय 04:15 पीएम पर गोपनीय कार्यवाही हेतु अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, झालावाड़ के नाम पत्रांक 342 दिनांक 29.04.2022 मुर्तिब कर श्री शिवराज कानि0 नं0 166 को देकर दिनांक 30.04.2022 को प्रातः 08.00 बजे गोपनीय कार्यवाही हेतु दो सरकारी गवाह भिजवाने के लिए पाबन्द कर उनके नाम व पद अवगत कराने के लिए कार्यालय अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, झालावाड़ के लिए रवाना किया गया। दिनांक 29.04.2022 समय 04:45 पीएम पर श्री शिवराज कानि0 नं0 166 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, झालावाड़ के श्री जितेन्द्र कुमार कश्यप पुत्र श्री जगदीश चन्द्र जाति कश्यप उम्र 41 वर्ष निवासी होली खूंट, सुकेत जिला कोटा हाल वरिष्ठ सहायक, मोबाईल नं0 9784487613, 6378312954 व श्री दुर्गेश कश्यप पुत्र श्री बिहारी लाल जाति कश्यप उम्र 38 वर्ष निवासी भोई मोहल्ला झालावाड़ हाल कनिष्ठ सहायक मोबाईन नं0 9784095999, 7014527085 कार्यालय अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत झालावाड़ को कल दिनांक 30.04.2022 को प्रातः 8 एएम पर आने हेतु पाबन्द कर ब्यूरो कार्यालय पाबन्द शुदा गवाहान का पत्रांक 362–64 दिनांक 29.04.2022 मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 30.04.2022 समय 08:15 एएम पर तलविदा दो स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र कुमार कश्यप पुत्र श्री जगदीश चन्द्र जाति कश्यप उम्र 41 वर्ष निवासी होली खूंट, सुकेत जिला कोटा हाल वरिष्ठ सहायक, मोबाईल नं0 9784487613, 6378312954 व श्री दुर्गेश कश्यप पुत्र श्री बिहारी लाल जाति कश्यप उम्र 38 वर्ष निवासी भोई मोहल्ला झालावाड़ हाल कनिष्ठ सहायक मोबाईन नं0 9784095999, 7014527085 कार्यालय अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत झालावाड़ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिनसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिचय प्राप्त कर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत् करवाया गया। दिनांक 30.04.2022 समय 08:35 एएम पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री चैन सिंह ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व अवगत कराया कि वह अपने साथ रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि 10,000 रूपये लेकर आया है। परिवादी ने यह भी अवगत कराया कि आरोपी श्री नयन अखण्ड पंचायत समिति सदस्य से पूर्व में हुई वार्ता अनुसार आज दोपहर पूर्व आरोपी ने पुलिस चौकी सातलखेड़ी के सामने स्थित चाय की होटल पर रिश्वत में दी जाने वाली मासिक बंधी

के 10,000रूपये लेकर बुलाया है। परिवादी का ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र कुमार कश्यप वरिष्ठ सहायक एवं श्री दुर्गेश कश्यप कनिष्ठ सहायक का परिवादी से परस्पर परिचय कराया गया। परिवादी श्री चैन सिंह का दिनांक 28.04.2022 को ब्यूरो कार्यालय में पेश किया गया प्रार्थना पत्र रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पढ़कर सुनाया गया। इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढ़कर व परिवादी से पूछताछ कर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये तथा ट्रेप कार्यवाही में सहयोग हेतु अपनी–अपनी सहमति दी। दिनांक 30.04.2022 समय 09:00 एएम पर परिवादी श्री चैन सिंह व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र कुमार कश्यप व श्री दुर्गेश कश्यप की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26 से मालखाना मे रखे हुऐ डिजिल वाईस रिकॉर्डर को निकलवाया जाकर सुना गया तो दिनांक 28.04.2022 को परिवादी श्री चैन सिंह व आरोपी श्री नयन अखण्ड पंचायत समिति सदस्य के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में परिवादी की शराब की दुकान चलाने व परेशान नहीं करने की एवज में मासिक बंधी के रूप 10,000रूपये रिश्वत की मांग करना सत्यापन वार्ता में पुष्टि होना पाया गया है। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुनकर दिनांक 28.04.2022 को हुई वार्ता को श्री सूरजमल कानि. नं. 521 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से उक्त वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री चैन सिंह को वार्ता को सुनाया गया, तो रिकॉर्डेड वार्ता में परिवादी श्री चैन सिंह द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपी श्री नयन अखण्ड पंचायत समिति सदस्य सातलखेडी तथा तीसरी आवाज श्री आनन्द प्रजापति (पत्रकार) तथा चौथी आवाज श्री मनीष की होना सुनकर पहचान कर बताया। वार्ता की हुबहु फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 30.04.2022 समय 11.00 एएम पर परिवादी श्री चैन सिंह ने दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र कुमार कश्यप व श्री दुर्गेश कश्यप के समक्ष अपने पास से 10,000 रूपये रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि 500–500 रूपये के कुल 20 नोट भारतीय मुद्रा के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये जिनके नम्बरो को फर्द में अंकित करवाया गया। उक्त प्रस्तुत नोटो को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी व दोनों सरकारी स्वतन्त्र गवाहान को दिखा कर श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाई तथा उक्त कानि. को रिश्वत में दिये जाने वाले नोट सुपुर्द कर उसके द्वारा 10,000/–रूपये रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे तथा गवाहान श्री जितेन्द्र कुमार कश्यप से परिवादी श्री चैन सिंह की जामा तलाशी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया गया। श्री हर्ष कुमार कानि0 नं0 234 के हाथ से सीधे ही फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि के नोटो को परिवादी श्री चैन सिंह की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवायी गयी। परिवादी को हिदायत दी गई की वह रिश्वती राशि को रास्ते में अनावश्यक हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वती राशि उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व मे आरोपी से हाथ नहीं मिलाये यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता अथवा छुपाता हैं का भी ध्यान रखें तथा आरोपी के रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने स्वंय के सिर पर दोनों हाथ फेर कर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस काल करें ताकि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को रिश्वती राशि के लेन–देन होने का पता चल जाये। दोनों स्वतन्त्र गवाहान व ट्रैप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती लेन–देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री हर्ष कुमार कानि0 से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। कांच के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री हर्ष कुमार कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह दोनों स्वतंत्र गवाहान् एवं परिवादी को दृष्टांत देकर समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर दोनों पाउडरों के परस्पर मिश्रण से घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि

प्राप्त की है। इसके पश्चात् श्री हर्ष कुमार कानि. के द्वारा ही दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गिलास में मौजुद गुलाबी घोल को बाथरूम के वॉश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाकर साबुन व साफ पानी से अच्छी तरह धुलवाकर गिलास को कार्यालय में ही छोड़ा गया। फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। दो गिलास, चम्मच, खाली पव्वों, ट्रेप सामग्री किट इत्यादी को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। श्री हर्ष कुमार कानि0 एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यगणों की अपनी–अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रेप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्वंय के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् पुनः परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। रिश्वती लेन देने के समय लेन–देन वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु एक डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के रख रखाव व संचालन की विधि समझाकर परिवादी श्री चैन सिंह को सुपुर्द किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द हाजा मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़कर सुनाई गई, सुन समझ सही मान संबंधित ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 30.04.2022 समय 11:30 एएम पर ट्रेप कार्यवाही से पूर्व की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र कुमार कश्यप व श्री दुर्गेश कश्यप तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26, श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि. नं. 97, श्री सूरजमल कानि. 521, श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री शिवराज कानि0 नं0 166 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर तथा सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री छोटूलाल नं. 534 के व प्राईवेट वाहन से बजानिब सातलखेड़ी की ओर ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। आगे आगे परिवादी श्री चैन सिंह को उसकी स्वंय की मोटरसाईकिल से रवाना किया तथा श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 को ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में छोड़ा गया। दिनांक 30.04.2022 समय 12:10 पीएम पर परिवादी श्री चैन सिंह अपनी स्वंय की मोटर साईकिल से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर ग्राम सातलखेड़ी पहुंचा। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री चैन सिंह ने अवगत कराया कि आरोपी श्री नयन कुमार अखण्ड उसकी चाय की होटल पर मौजूद नहीं है तथा मोबाईल कॉल भी अटेंड नहीं कर रहा है तथा उसके रामगंजमण्डी जाने की जानकारी मिली है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान के हमराह ले गये वाहनों के साथ–साथ परिवादी श्री चैन सिंह के पीछे–पीछे ग्राम सातलखेड़ी से रामगंजमण्डी के लिए रवाना हुआ। दिनांक 30.04.2022 समय 12:35 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान के हमराह ले गये वाहनों के साथ–साथ परिवादी श्री चैन सिंह के पीछे–पीछे रामगंजमण्डी पहुंचा तथा पुनः परिवादी श्री चैन सिंह को बुलाकर अपने मोबाईल नम्बर 9252218014 से आरोपी श्री नयन कुमार अखण्ड के मोबाईल नम्बर 8058161214 पर कॉल कराया गया तो आरोपी श्री नयन कुमार अखण्ड द्वारा कॉल अटेंड करने पर परिवादी श्री चैन सिंह के मोबाईल का स्पिकर ऑन कर मोबाईल पर हुई रिश्वत लेन–देन वार्तालाप को स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। दिनांक 30.04.2022 समय 12:40 पीएम पर पुनः परिवादी श्री चैन सिंह के मोबाईल नम्बर 9252218014 से आरोपी श्री नयन कुमार अखण्ड के मोबाईल नम्बर 8058161214 पर कॉल कराया जाकर आरोपी श्री नयन कुमार अखण्ड द्वारा कॉल अटेंड करने पर परिवादी श्री चैन सिंह के मोबाईल का स्पिकर ऑन कर मोबाईल पर हुई रिश्वत लेन–देन वार्तालाप को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। जिसमें आरोपी श्री नयन कुमार अखण्ड ने रिश्वत राशि के 10,000रूपये अन्य आरोपी श्री आनन्द कुमार प्रजापति को देने की बात कही तथा बताया कि वह जहां पर भी होगा तुम से आकर रिश्वत राशि के 10,000रूपये प्राप्त कर लेगा। दिनांक 30.04.2022 समय 12:42 पीएम पर परिवादी श्री चैन सिंह के मोबाईल नम्बर 9252218014 पर आरोपी श्री आनन्द कुमार प्रजापति द्वारा अपने मोबाईल नम्बर 9414203382 से कॉल किया जाने पर वार्तालाप को परिवादी के मोबाईल का स्पिकर ऑन कर रूबरू गवाहान डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। जिसमें आरोपी श्री आनन्द कुमार प्रजापति ने उसका सुकेत में होना तथा 20–25 मिनट में रेलवे ऑवर ब्रीज रामगंजमण्डी के नीचे पहुंचना बताया। जिस पर परिवादी श्री चैन सिंह को थाना रामगंजमण्डी के निकट स्थित रेलवे ऑवर ब्रीज के नीचे आरोपी श्री आनन्द कुमार प्रजापति का इन्तजार करने तथा रिश्वत लेन–देन वार्तालाप के दौरान डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में वार्तालाप रिकॉर्ड करने की हिदायत दी गयी तथा मुकीम रहने के निर्देश दिये गये एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी अपने सरकारी वाहन व साथ में निजी चौपहिया वाहन को ऑवर ब्रीज के नीचे खड़े वाहनों से

सटाकर ट्रेप पार्टी को अलर्ट कर अपने–अपने वाहनों में इन्तजार करने लगे। दिनांक 30.04.2022 समय 01:13 पीएम पर परिवादी श्री चैन सिंह द्वारा रामगंजमण्डी से खैराबाद की और जाने वाले रेल्वे ऑवर ब्रीज रोड़ के नीचे बायीं तरफ से मन् अति. पुलिस अधीक्षक को पूर्व निर्धारित ईशारा सिर पर हाथ फिराकर करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान को लेकर परिवादी श्री चैन सिंह के पास पहुँचा तथा परिवादी से पूर्व में रिश्वत लेन–देन के दौरान आरोपी से वार्तालाप करने हेतु सुपुर्द शुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर कब्जे में लिया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री चैन सिंह से आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांगने, प्राप्त करने तथा रिश्वत राशि रखने वाली जगह/स्थान के बारे में पूछा गया तो परिवादी ने पूछने पर रूबरू गवाहान उसके समीप ही आरजे 32 एससी 6185 मोटर साईकिल पैशन प्रो बरंग काला पर बैठे हुए सफेद शर्ट व आसमानी रंग की जीन्स की पेन्ट पहने मजबूत कद काठी के सांवले से व्यक्ति की और ईशारा कर बताया कि साहब यही श्री आनन्द कुमार प्रजापति (पत्रकार) है, जिन्होने मुझसे अभी–अभी आरोपी श्री नयन कुमार अखण्ड पंचायत समिति सदस्य ग्राम सातलखेड़ी के कहने पर रिश्वत राशि के 10,000रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई आसमानी रंग की जीन्स की पेन्ट की सामने वाली बायीं जेब में रख ली है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उस व्यक्ति को ट्रेप पार्टी व हमराहीयान का परिचय दिया तथा यहां आने का प्रयोजन बताया तो वह अत्यन्त घबरा गया जिसे तसल्ली देकर पानी पिलाकर उसका नाम–पता पूछा तो उसने अपना नाम आनन्द कुमार प्रजापति पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति कुम्हार उम्र 33 वर्ष निवासी वार्ड नं0 05 सातलखेड़ी हाल पत्रकार (दलाल) थाना सुकेत पंचायत समिति खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0 होना बताया। तत्पश्चात् आरोपी श्री आनन्द कुमार प्रजापति से परिवादी श्री चैन सिंह से ली गई रिश्वत राशि 10,000 रूपये बाबत पूछा गया की उन्होने यह रिश्वत राशि क्यों व किस काम व उद्देश्य की एवज में ली है। इस पर आरोपी ने रूबरू गवाहान बताया की श्री नयन कुमार अखण्ड पंचायत समिति सदस्य सातलखेड़ी ने अपने मोबाईल से मुझे फोन किया था कि श्री चैन सिंह रामगंजमण्डी में आये हुए है। वह तुमको 10,000रूपये देगें, वह रूपये तुम ले लेना। उसके बाद मैंने श्रीं चैन सिंह के मोबाईल पर कॉल कर बताया कि मैं अभी सुकेत के आस–पास हूं। अभी रामगंजमण्डी आकर मिलता हूं। उसके लगभग आधा घण्टे पश्चात् जब मैं रामगंजमण्डी रेलवे ऑवर ब्रीज के नीचे आया तो मैंने पुनः श्री चैन सिंह के मोबाईल पर कॉल किया कि तुम रेलवे ऑवर ब्रीज के नीचे आ जावों। मैं यहां मेरी मोटर साईकिल लेकर आया ही था कि उसके तुरन्त बाद श्री चैन सिंह ने रेलवे ऑवर ब्रीज के नीचे आकर मुझे 10,000रूपये दे दिये थे जो मैंने लेकर अपनी पहनी हुई आसमानी रंग की जीन्स की सामने वाली बायीं जेब में रख लिये। मुझे नहीं पता था कि यह रिश्वत राशि या बन्धी के रूपये है। मैंने श्री चैन सिंह से कोई रिश्वत की मांग नहीं की। मैंने श्री नयन कुमार अखण्ड के कहने पर यह 10,000रूपये लिये है। तत्पश्चात् आरोपी श्री आनन्द कुमार प्रजापति का दाहिना हाथ श्री सूरजमल कानि0 को तथा बायां हाथ श्री शिवराज कानि0 को पकड़ने के निर्देश देकर स्वतंत्र गवाहान के अतिरिक्त श्री गोपाल लाल हैड कानि0 के हमराह साथ में ले गये निजी चौपहिया वाहन में बैठाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना रामगंजमण्डी भिजवाया गया तथा श्री शिवराज कानि0 को थाना रामगंजमण्डी से वापस आकर आरोपी श्री आनन्द कुमार प्रजापति की मोटर साईकिल को थाना रामगंजमण्डी परिसर में खड़ा करने के निर्देश दिये तथा थाना प्रभारी श्री देशराज उपनिरीक्षक को ट्रेप कार्यवाही हेतु थाना परिसर में स्थित स्वागत कक्ष खोलने का अनुरोध किया गया। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय सरकारी वाहन मय चालक श्री छोटूलाल कानि0 मय जाब्ता श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि0, श्री पवन कुमार कानि0, श्री देवदान सिंह कानि0 के परिवादी श्री चैन सिंह को उसकी मोटर साईकिल से आरोपी श्री नयन कुमार अखण्ड के गांव सातलखेड़ी स्थित मकान पर जाकर लाने हेतु परिवादी श्री चैन सिंह के पीछे–पीछे सातलखेड़ी पहुंचा। जहां पर वार्ड नं0 19 सातलखेड़ी में स्थित मकान के बाहर ही एक मजबूत कद काठी के गौरे से व्यक्ति की और ईशारा कर परिवादी श्री चैन सिंह ने बताया कि साहब यह ही श्री नयन कुमार अखण्ड है। इस मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उसको अपना व हमराहीयान का परिचय दिया तो वह अत्यन्त घबरा गया जिसे तसल्ली देकर अपना नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम नयन कुमार अखण्ड पुत्र स्व0 श्री रमेशचन्द जाति बैरवा उम्र 36 वर्ष निवासी वार्ड नं0 19 सातलखेड़ी थाना सुकेत पंचायत समिति खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0 हाल पंचायत समिति सदस्य (डायरेक्टर) वार्ड नम्बर 13 ग्राम सातलखेड़ी पंचायत समिति खैराबाद जिला कोटा राज0 होना बताया। जिसे कपड़े पहनवाकर उसके मकान के बाहर दुकान पर बैठी हुई उसकी मां को थाना रामगंजमण्डी पूछताछ हेतु ले जाने की बात बताकर उसे सरकारी वाहन में बैठाकर उसके घर

सातलखेड़ी से रवाना होकर पुनः थाना रामगंजमण्डी आया तथा आरोपी श्री नयन कुमार अखण्ड से अन्य आरोपी श्री आनन्द कुमार प्रजापति को दिलवायी गयी मासिक बन्धी के 10,000रूपये दिलवाने के बारे में पूछा गया तो उसने कहां कि मुझे श्री चैन सिंह ने मेरे मोबाईल पर कॉल किया था कि 10,000रूपये लेकर मैं रामगंजमण्डी आया हूं। मुझे बाहर जाना है तो मैंने कह दिया था कि तुम श्री आनन्द कुमार प्रजापति को दे दो। इसके बाद पुनः श्री चैन सिंह ने मेरे मोबाईल पर कॉल किया तो मैंने श्री आनन्द कुमार प्रजापति को कहा कि तुम श्री चैन सिंह से मोबाईल पर बातचीत कर लो वह रामगंजमण्डी में है तथा वह 10,000रूपये देगा वह तुम रखं लेना। मैंने मेरे लिए कोई मासिक बन्धी की मांग नहीं की है। यह रूपये श्री चैन सिंह ने अपनी स्वैच्छा से दिये है। अगर कोई गलती हो गयी हो तो मुझे माफ करें। आरोपी श्री नयन कुमार अखण्ड के वर्जन व स्पष्टीकरण का परिवादी श्री चैन सिंह ने खण्डन करते हुऐ कहा कि साहब श्री नयन कुमार अखण्ड झूठ बोल रहे है मैंने इनको कोई राजी खुशी रूपये नहीं दिये है। इन्होने मुझे मेरी देशी, विदेशी, बीयर कम्पोजिट रिटेल शॉप नम्बर 02 ग्राम पंचायत सातलखेड़ी में दिनांक 12.04.2022 को आंवटित हुई है। उसके बाद यह दोनों मेरी शराब की दुकान पर आकर धमकाकर कभी–कभी मेरे पार्टनर श्री मनीष से तथा कभी कभी मेरे से शराब की बोतले मांगते रहते है। एक दिन श्री नयन कुमार अखण्ड व श्री आनन्द कुमार प्रजापति दोनों मेरी शराब की दुकान पर आये तथा श्री नयन कुमार अखण्ड व श्री आनन्द कुमार प्रजापति ने कहा कि दोनों को 10–10 हजार रूपये मासिक बंधी के दे देना। तुम्हे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आयेगी। यह लोग मासिक बंधी बांधने के लिए शराब की दुकान पर आकर डराते धमकाते है कि फोटो व वीडियो बनाकर ऊपर आबकारी अधिकारियों को भेज देगें तो तुम्हारी दुकान का लाईसेन्स निरस्त हो जायेगा। मैं परेशान होकर दिनांक 28.04.2022 को आपके ऑफिस में इनको ट्रेप कराने की रिपोर्ट देने पर आप द्वारा उसी रोज श्री सूरजमल जी को मेरे साथ मुझे डिजिटल वाईस रिकार्डर देकर भेजा था जिसमें मैंने श्री नयन कुमार अखण्ड से 10,000रूपये मासिक बंधी मांगने की रिकॉर्डिंग कर ली थी। उसके बाद आज आपके द्वारा श्री नयन कुमार अखण्ड व श्री आनन्द कुमार प्रजापति को ट्रेप करने के लिए आने पर श्री आनन्द कुमार प्रजापति के रामगंजमण्डी होने की जानकारी मिलने पर श्री नयन कुमार अखण्ड के कहने पर श्री आनन्द कुमार प्रजापति को रिश्वत राशि के 10,000रूपये लेते हुए रंगे हाथों ट्रेप किया है। उसके बाद मेरे साथ चलकर सातलखेड़ी जाकर श्री नयन कुमार अखण्ड को भी उसके घर से पकड़कर लाये है। फिर आरोपी श्री आनन्द कुमार प्रजापति के दोनों हाथों की धुलाई हेतु दो साफ कांच के गिलासो में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। तत्पश्चात एक कांच के गिलास मे तैयार घोल में आरोपी श्री आनन्द कुमार प्रजापति के दाहिनें हाथ की उंगलियो व अंगूठे को उक्त गिलास के घोल मे डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमेला प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा मोके पर भरकर सील–मोहर चिट कर मार्का आरएच–1, आरएच–2 अंकित कर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। फिर दूसरे कांच के गिलास में तैयार घोल में आरोपी श्री आनन्द कुमार प्रजापति के बायें हाथ की उंगलियो व अंगूठे को उक्त गिलास के घोल मे डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियो में आधा–आधा मौके पर भरकर सील–मोहर चिट कर मार्का एलएच–1, एलएच–2 अंकित कर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। फिर गवाह श्री जितेन्द्र कुमार कश्यप को आरोपी श्री आनन्द कुमार प्रजापति की पहनी हुयी आसमानी रंग की जीन्स की पेन्ट की सामने वाली बांयी जेब की तलाशी लेने के निर्देश दिये जाने पर उन्होने तलाशी के दौंरान 500–500 रूपये के नोटो की थेई पेश की। जिस पर उनकी गिनती करने पर 500–500 रूपये के कुल 20 नोट कुल राशि 10,000 रूपये होना पाया गया। तत्पश्चात अन्य गवाह श्री दुर्गेश कश्यप को फर्द सुपुर्दगी नोट देकर उक्त नोटो के मिलान करने के निर्देश करने पर दोनों गवाहान ने बरामद नोटो के नम्बर फर्द सुपुर्दगी में अंकित नोटो का मिलान कर हूबहू नम्बरी रिश्वती राशि वाले 10,000 रूपये होना बताने पर नोटो के नम्बर फर्द में अंकित किये जा रहे हे। जो निम्न प्रकार हैः–

1	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	5KT 026194
2	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4WN 690250
3	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0BK 328931
4	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0BK 328932
5	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0BK 328933

6	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	OBK 328934
7	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	OBK 328935
8	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	OBK 328936
9	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	OBK 328937
10	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	OBK 328938
11	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	OBK 328939
12	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	OBK 328940
13	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	OBK 328941
14	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	OBK 328942
15	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	OBK 328943
16	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	OBK 328944
17	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	OBK 328945
18	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	OBK 328946
19	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	OBK 328947
20	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	OBK 328948

उक्त बरामद नोटो को कागज में मौके पर ही सील–मोहर चिट कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। उक्त बरामदशुदा नोटो के अलावा आरोपी की आसमानी रंग जिन्स की पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब सेमसंग कम्पनी का सिल्वर रंग का मोबाईल मिला जिसे बतौर सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री आनन्द कुमार प्रजापति की पैशन प्रो मोटर साईकिल को उनके कहने के अनुसार श्री मोडू राठौर को सौंपी गई। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामान, दस्तावेज, नकदी व अन्य कोई बहूमुल्य वस्तु नहीं मिली, जिसे ब्यूरो द्वारा कब्जे में लिया जावे। तदुपरान्त आरोपी श्री आनन्द कुमार प्रजापति की पहनी हुयी आसमानी रंग की जीन्स की पेन्ट की बायीं जेब की धुलाई हेतु एक कांच के साफ गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। फिर आरोपी श्री आनन्द कुमार प्रजापति को अन्य पेन्ट मंगवाकर पहनवाकर रिश्वत राशि रखी हुई, पहनी हुयी आसमानी रंग की जीन्स की पेन्ट की बायीं जेब को उल्टवाकर उक्त घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियों मे आधा–आधा भरकर मौके पर ही सील–मोहर चिट कर मार्का पी–1, पी–2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। पेन्ट की जेब की धुलाई के पश्चात पंखे की हवा में सुखाकर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कपड़े की थेली मे रखकर सील चिट करवाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री नयन कुमार अखण्ड के कब्जे से वीवो कम्पनी का काले रंग का मोबाईल मिला जिसे बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। दिनांक 30.04.2022 समय 04:40 पीएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री चैन सिंह के बताये अनुसार घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर आरोपी आनन्द कुमार प्रजापति द्वारा प्राप्त की गयी रिश्वत राशि 10,000रूपये बरामदगी घटनास्थल रेलवे ऑवर ब्रीज के नीचे रामगंजमण्डी का फर्द नक्शा मौका निरीक्षण घटनास्थल मूर्तिब किया गया। दिनांक 30.04.2022 समय 05:05 पीएम पर आरोपी श्री नयन कुमार अखण्ड पुत्र स्व0 श्री रमेशचन्द जाति बैरवा उम्र 36 वर्ष निवासी वार्ड नं0 19 सातलखेड़ी थाना सुकेत पंचायत समिति खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0 हाल पंचायत समिति सदस्य (डायरेक्टर) वार्ड नम्बर 13 ग्राम सातलखेड़ी पंचायत समिति खैराबाद जिला कोटा राज0 की जामा तलाशी गवाह श्री जितेन्द्र कुमार कश्यप से लिवायी तो आरोपी के पास कोई नकदी अथवा महत्वपूर्ण वस्तु नहीं मिली जिसे ब्यूरो द्वारा कब्जे में लिया जा सके। रूबरू गवाहन श्री जितेन्द्र कुमार कश्यप एवं श्री दुर्गेश कश्यप के समक्ष आरोपी को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के, गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री नयन कुमार अखण्ड की गिरफ्तारी की सूचना उसके परिचित श्री रामप्रसाद निवासी सातलखेड़ी को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मूर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 30.04.2022 समय 05:15 पीएम पर आरोपी श्री आनन्द कुमार प्रजापति पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति कुम्हार उम्र 33 वर्ष निवासी वार्ड नं0 05 सातलखेड़ी हाल पत्रकार (दलाल) थाना सुकेत पंचायत समिति खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0 की जामा तलाशी गवाह श्री जितेन्द्र कुमार कश्यप से लिवायी तो आरोपी के पास रिश्वत राशि के 10,000रूपये के अलावा अन्य कोई नकदी अथवा महत्वपूर्ण वस्तु नहीं मिली जिसे ब्यूरो द्वारा कब्जे में लिया जा सके। रूबरू गवाहन श्री जितेन्द्र कुमार कश्यप एवं श्री दुर्गेश कश्यप के समक्ष आरोपी को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के, गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री आनन्द कुमार प्रजापति की गिरफ्तारी की सूचना उसके मामाजी श्री रामप्रसाद निवासी सातलखेड़ी को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मूर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 30.04.2022 समय 05:25 पीएम पर आरोपी श्री नयन कुमार अखण्ड पुत्र स्व0 श्री रमेशचन्द जाति बैरवा उम्र 36 वर्ष निवासी वार्ड नं0 19 सातलखेड़ी थाना सुकेत पंचायत समिति

खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0 हाल पंचायत समिति सदस्य (डायरेक्टर) वार्ड नम्बर 13 ग्राम सातलखेड़ी पंचायत समिति खैराबाद जिला कोटा राज0 को स्वतंत्र गवाहन श्री जितेन्द्र कुमार कश्यप व श्री दुर्गेश कश्यप के समक्ष, दिनांक 28.04.2022 को परिवादी श्री चैन सिंह द्वारा सातलखेड़ी तोल कांटा पर रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता व आज दिनांक 30.04.2022 मोबाईल पर हुई वार्ता के समय परिवादी श्री चैन सिंह द्वारा उसको सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड किया है। उक्त आवाज का परीक्षण करवाने हेतु जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया। जिस पर आरोपी श्री नयन कुमार अखण्ड ने फर्द पर ही स्वंय के हस्तलेख में लिखकर दिया कि " मैं अपनी आवाज का स्वैच्छा से नमुना नहीं देना चाहता हूँ।" अंकित कर हस्ताक्षर किये। फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 30.04.2022 समय 05:35 पीएम पर आरोपी श्री आनन्द कुमार प्रजापति पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति कुम्हार उम्र 33 वर्ष निवासी वार्ड नं0 05 सातलखेड़ी हाल पत्रकार (दलाल) थाना सुकेत पंचायत समिति खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0 को स्वतंत्र गवाहन श्री जितेन्द्र कुमार कश्यप व श्री दुर्गेश कश्यप के समक्ष, दिनांक 28.04.2022 को परिवादी श्री चैन सिंह द्वारा सातलखेड़ी तोल कांटा पर रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई मोबाईल वार्ता व आज दिनांक 30.04.2022 हुई मोबाईल वार्ता व बरवक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता के समय परिवादी श्री चैन सिंह द्वारा उसको सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड किया है। उक्त आवाज का परीक्षण करवाने हेतु जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया। जिस पर आरोपी श्री आनन्द कुमार प्रजापति ने फर्द पर ही स्वंय के हस्तलेख में लिखकर दिया कि " मैं अपनी आवाज का स्वैच्छा से नमुना नहीं देना चाहता हूँ।" अंकित कर हस्ताक्षर किये। फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 30.04.2022 समय 05:40 पीएम पर सम्पूर्ण कार्यवाही पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व जाब्ता तथा गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री नयन कुमार अखण्ड व श्री आनन्द कुमार प्रजापति को साथ लेकर मय ट्रेप बॉक्स व जब्त शुदा आर्टिकल्स व रिश्वत राशि 10,000रूपये मय सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन से रवाना हुआ तथा परिवादी को भी उसके स्वंय के वाहन से कार्यालय में पहुंचने के निर्देश दिये गये। दिनांक 30.04.2022 समय 06:40 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान दोनों स्वतन्त्र गवाहान, गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री नयन कुमार अखण्ड व श्री आनन्द कुमार प्रजापति व दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी एवं ब्यूरो स्टाफ के साथ लाये अपने–अपने वाहनों से ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुँचा। मौके से जब्त शुदा व बरामद शुदा माल बतौर वजह सबूत, रिश्वत राशि तथा धोवन के सैम्पल इत्यादि श्री गोपाल लाल मुख्य आरक्षक नं. 26 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये। दिनांक 30.04.2022 समय 06:45 पीएम पर परिवादी श्री चैन सिंह एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी श्री चैन सिंह के मोबाईल नम्बर 9252218014 से आरोपी श्री नयन कुमार अखण्ड के मोबाईल नम्बर 8058161214 पर आज दिनांक 30.04.2022 समय 12.35 पीएम पर रिश्वत मांग के सम्बंध में मोबाईल वार्ता की थी, जो वार्ता डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में सेव थी, उक्त वार्ता को कार्यालय कम्प्यूटर में लिवाकर सेव कर उक्त वार्ता की जरिये कम्प्यूटर श्री सूरजमल कानि. को निर्देश देकर, फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग मोबाईल वार्ता मुर्तिब करवाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 30.04.2022 समय 07:00 पीएम पर परिवादी श्री चैन सिंह एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी श्री चैन सिंह के मोबाईल नम्बर 9252218014 से आरोपी श्री नयन कुमार अखण्ड के मोबाईल नम्बर 8058161214 पर आज दिनांक 30.04.2022 समय 12.40 पीएम पर रिश्वत मांग के सम्बंध में मोबाईल वार्ता की थी, जो वार्ता डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में सेव थी, उक्त वार्ता को कार्यालय कम्प्यूटर में लिवाकर सेव कर उक्त वार्ता की जरिये कम्प्यूटर श्री सूरजमल कानि. को निर्देश देकर, फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग मोबाईल वार्ता मुर्तिब करवाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 30.04.2022 समय 07:20 पीएम पर परिवादी श्री चैन सिंह एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी श्री चैन सिंह के मोबाईल नम्बर 9252218014 पर आरोपी श्री आनन्द कुमार प्रजापति द्वारा अपने मोबाईल नम्बर 9414203382 से कॉल कर आज दिनांक 30.04.2022 समय 12.42 पीएम पर रिश्वत मांग के सम्बंध में मोबाईल वार्ता की थी, जो वार्ता डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में सेव थी, उक्त वार्ता को कार्यालय कम्प्यूटर में लिवाकर सेव कर उक्त वार्ता की जरिये कम्प्यूटर श्री सूरजमल कानि. को निर्देश देकर, फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग मोबाईल वार्ता मुर्तिब करवाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 30.04.2022 समय 08:00 पीएम पर परिवादी श्री चैन सिंह एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी श्री चैन सिंह ने आज दिनांक 30.04.2022 समय 01.11 पीएम पर बरवक्त रिश्वत लेन–देन के समय आरोपी श्री आनन्द कुमार प्रजापति से हुई वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था, जो वार्ता डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में सेव थी। उक्त वार्ता को कार्यालय कम्प्यूटर में लिवाकर सेव कर उक्त वार्ता की जरिये कम्प्यूटर श्री सूरजमल कानि. को निर्देश देकर, फर्द ट्रांसक्रिप्ट बरवक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता मुर्तिब करवाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 30.04.2022 समय 08:15 पीएम पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 28.04.2022 जो आरोपी श्री नयन कुमार अखण्ड पंचायत समिति सदस्य ग्राम पंचायत सातलखेड़ी, पत्रकार (दलाल) श्री आनन्द कुमार प्रजापति व परिवादी श्री चैन सिंह व परिवादी का पार्टनर श्री मनीष के मध्य रिश्वत की मांग से संबंधित वार्ता

हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट दिनांक 30.04.2022 को समय 09.00 एएम पर तैयार की गई थी व परिवादी श्री चैन सिंह के मोबाईल नम्बर 9252218014 से आरोपी श्री नयन कुमार अखण्ड के मोबाईल नम्बर 8058161214 पर आज दिनांक 30.04.2022 समय 12.35 पीएम रिश्वत मांग के सम्बंध में मोबाईल वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट दिनांक 30.04.2022 समय 06.45 पीएम पर तैयार की गई थी, परिवादी श्री चैन सिंह के मोबाईल नम्बर 9252218014 से आरोपी श्री नयन कुमार अखण्ड के मोबाईल नम्बर 8058161214 पर आज दिनांक 30.04.2022 समय 12.40 पीएम रिश्वत मांग के सम्बंध में मोबाईल वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट दिनांक 30.04.2022 समय 07.00 पीएम पर तैयार की गई थी, परिवादी श्री चैन सिंह के मोबाईल नम्बर 9252218014 पर आरोपी श्री आनन्द कुमार प्रजापति द्वारा अपने मोबाईल नम्बर 9414203382 से कॉल कर आज दिनांक 30.04.2022 समय 12.42 पीएम रिश्वत मांग के सम्बंध में मोबाईल वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट दिनांक 30.04.2022 समय 07.20 पीएम पर तैयार की गई थी, परिवादी श्री चैन सिंह ने आज दिनांक 30.04.2022 समय 01.11 पीएम पर बरवक्त रिश्वत लेन देन समय आरोपी पत्रकार (दलाल) श्री आनन्द कुमार प्रजापति से वार्ता हुई थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट दिनांक 30.04.2022 को समय 08.00 पीएम पर तैयार की गई थी। उक्त पाचों वार्ताए कार्यालय कम्प्यूटर में सेव थी। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री सूरजमल कानि0 नं0 521 को निर्देशित कर उक्त पाचों वार्ताओं की जरिये कम्प्यूटर पांच सीडी डब करवाई गई, जिसमें दो सीडी आरोपीयों के लिये, एक सीडी नमूना आवाज हेतु तथा एक सीडी माननीय न्यायालय हेतु अलग–अलग कपडे की थेली में रखकर सील मोहर की गई तथा एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु खुली रखी गई। जिसकी फर्द डबिंग सीडी तैयार करवाकर सीडीयों पर व फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 30.04.2022 समय 09:10 पीएम पर श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 व श्री शिवराज कानि. नं. 166 को आरोपी श्री नयन कुमार अखण्ड पंचायत समिति सदस्य व श्री आनन्द कुमार प्रजापति का कोविड टेस्ट करवाकंर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ की हवालात में बन्द कराने हेतु रवाना किया गया। दिनांक 30.04.2022 समय 09:20 पीएम पर परिवादी श्री चैन सिंह एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र कुमार कश्यप व श्री दुर्गेश कश्यप को सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात् रूखसत किया गया। दिनांक 30.04.2022 समय 09:40 पीएम पर आरोपी श्री नयन कुमार अखण्ड पंचायत समिति सदस्य व श्री आनन्द कुमार प्रजापति को वास्ते सुरक्षा की दुष्टि से पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ की हवालात में बन्द कर श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 व श्री शिवराज कानि. नं. 166 कार्यालय में हाज़िर आये।

अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री चैन सिंह पुत्र श्री तूफान सिंह जाति राजपूत उम्र 41 साल निवासी राम मन्दिर के पास, नयागांव (बीड़मण्डी) सलावद खुर्द थाना सुकेत जिला कोटा (राज0) ने दिनांक 28.04.2022 को कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत पेश की कि आरोपी श्री नयन कुमार अखण्ड पंचायत समिति सदस्य ग्राम पंचायत सातलखेड़ी द्वारा परिवादी की सातलखेड़ी में स्थित अपनी लाईसेन्सी कम्पोजिट शराब की दुकान नम्बर 02 ग्राम सातलखेड़ी का निर्बाध रूप से संचालन करने तथा जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रति माह 10,000रूपये की रिश्वत राशि बन्धी के रूप में मांग रहे है। परिवादी व उसके पार्टनर श्री मनीष को परेशान न करने तथा शराब की दुकान पर आने वाले ग्राहकों के फोटो व वीडियो नहीं बनाने की एवज में डरा धमकाकर आरोपी श्री नयन कुमार अखण्ड द्वारा रिश्वत की मांग करना जो रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 28.04.2022 से साबित है तथा उक्त क्रम में आज दिनांक 30.04.2022 को आरोपी श्री नयन कुमार अखण्ड पंचायत समिति सदस्य ग्राम सातलखेड़ी द्वारा 10,000रूपये की रिश्वत राशि अन्य आरोपी श्री आनन्द कुमार प्रजापति पत्रकार (दलाल) को परिवादी श्री चैन सिंह से हुई आज मोबाईल वार्तालाप के दौरान रिश्वत राशि के 10,000रूपये देने का कहने पर आरोपी श्री आनन्द कुमार प्रजापति पत्रकार (दलाल) को रिश्वत राशि 10,000रूपये दिलवाये। आरोपी श्री आनन्द कुमार प्रजापति को 10,000रूपये रिश्वत राशि लेते हुए आज ट्रेप पार्टी द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। रिश्वत राशि 10,000रूपये उसकी पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायीं जेब से बरामद की गयी। आरोपी पत्रकार (दलाल) श्री आनन्द कुमार प्रजापति के दोनों हाथों की सोडियम कार्बोनेट के घोल में धोवन लेने पर दाहिने हाथ का धोवन का रंग मटमेला व बायें हाथ के धोवन का रंग हल्का गुलाबी तथा पेंट की जेब का धोवन गुलाबी प्राप्त हुआ है। अतः आरोपीगणों का उक्त कृत्य जुर्म अंतर्गत धारा 7,7ए पी.सी. एक्ट (संशोधित) अधिनियम 2018 व 120बी आईपीसी के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः उक्त आरोपीगण श्री नयन कुमार अखण्ड पुत्र स्व0 श्री रमेशचन्द जाति बैरवा उम्र 36 वर्ष निवासी वार्ड नं0 19 सातलखेड़ी थाना सुकेत पंचायत समिति खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0 हाल पंचायत समिति सदस्य (डायरेक्टर) वार्ड नम्बर 13 ग्राम सातलखेड़ी पंचायत समिति खैराबाद जिला कोटा राज0 व श्री आनन्द कुमार प्रजापति पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति कुम्हार उम्र 33 वर्ष निवासी वार्ड नं0 05 सातलखेड़ी हाल पत्रकार (दलाल) थाना सुकेत पंचायत समिति खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

राज0 के विरूद्ध जुर्म अंतर्गत धारा 7,7ए पी.सी. एक्ट (संशोधित) अधिनियम 2018 व 120बी आईपीसी का अपराध घटित पाये जाने पर उपरोक्त आरोपिगणों के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक सी0पी0एस0 एसीबी राजस्थान जयपुर की सेवा में प्रेषित की जावेगी।

भवदीय;

(भवानी शंकर मीणा)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
झालावाड़।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भवानी शंकर मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं आरोपीगण 1. श्री नयन कुमार अखण्ड पुत्र स्व.श्री रमेशचन्द, पंचायत समिति सदस्य (डायरेक्टर) वार्ड नम्बर 13, ग्राम सातलखेड़ी, पंचायत समिति खैराबाद जिला कोटा एवं 2. श्री आनन्द कुमार प्रजापति पुत्र श्री ओमप्रकाश, निवासी वार्ड नं.05, सातलखेड़ी हाल पत्रकार(दलाल) पुलिस थाना सुकेत, पंचायत समिति खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 156/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

30/4/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 1370-74 दिनांक 30.4.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचयतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।